

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जाने वाले प्रतावित अफोर्डेबल युप हाउसिंग प्रोजेक्ट (प्रोजेक्ट प्लान के अंतिम चरण में है) के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधारण से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। (विवरण विभागीय वेबसाइट [tpharyana.gov.in](http://tpharyana.gov.in) पर उपलब्ध हैं)

### प्रोजेक्ट के विवरण

1. कॉलोनाइज़र / डेवलपर	सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
2. प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	लाइसेंस नं.: 25 / 2016 एवं 29.11.2016. भवन योजना की स्वीकृति 7.6.2017 माध्यम / मेमो नं. ZP-1012/SD(BS)/2017/12388 दिनांक 7/6/17। हरियाणा रेग रजिस्ट्रेशन नं.: 4 of 2017 दिनांक 20-06-2017
3. स्थान	सेक्टर 107, गुरुग्राम
4. प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी प्रावधान	हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत 3 एकड़ में कुल 448 अपार्टमेंट में से 29 अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से पॉलिसी अनुसार कुल अपार्टमेंट का 5% मैनेजमेंट कोटे में आरक्षित हैं और कुल अपार्टमेंट का 95% सर्वसाधारण के लिए हैं। समुदाय सुविधाएँ: 2000 वर्गफुट का एक समुदाय भवन और 2000 वर्गफुट का एक ऑगनवाड़ी—सह—क्रेच।
5. अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम	

अपार्टमेंट के विवरण				आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%	एलॉटमेंट पर 20%
कैटेगरी (टाइप)	यूनिट की संख्या	कारपेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बाल्कनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	अपार्टमेंट के एलॉटमेंट की दर (सब मिलाकर)	आवेदन के साथ बुकिंग की राशि 5%
2BHK - T2	11	577.946	82.57	23,53,069	1,17,653
2BHK - T3	9	553.856	81.084	22,55,966	1,12,798
2BHK - T4	8	553.383	81.084	22,54,074	1,12,704
2BHK - T7	1	514.396	50.999	20,83,083	1,04,154
					4,16,617

(ii) बाकी 75% राशि का तीन वर्षों के दौरान 6 महीने तक बराबर किस्तों में भुगतान। भुगतान की नियत तिथि से पहले कोई व्याज नहीं लगेगा। भुगतान में किसी छूट के लिए हर्जाना व्याज देना होगा जैसा कि हरियाणा रीयल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, विनियम, 2017 के नियम 15 में प्रावधान है।

6. पार्किंग	प्रत्येक अपार्टमेंट के लिए दुपहिया वाहन पार्किंग।
7. अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण	• फ्लोरिंग : विट्रिफाइड टाइल्स फ्लोरिंग, फिचन में सिरामिक टाइल्स, टॉयलेट में सिरामिक टाइल्स, बाल्कनी में सिरामिक टाइल्स क्लास-11, कॉमर्स एरिया : टोराकोटा टाइल्स / पैवर्स / स्टोन • खिडकियों के फ्रेम : IS कोड के अनुसार Z सेवशन फ्रेम • दरवाजों के फ्रेम : पलटे इनामेल पैटर्न किए गए पलश डोर • वॉल टाइल्स : बाथरूम में 5 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स, फिचन में काउंटर के ऊपर 2 फुट की ऊँचाई तक सिरामिक टाइल्स • किचन काउंटर टॉप : ग्रेनाइट • वॉल फिनिश : सीनिंग कलर वॉश वॉल / पैटिंग OBD के साथ • प्लमिंग फिटिंग : PPR या समतुल्य पाइप • सैनिटरी फिटिंग : स्टैर्डर्ड डिजाइन में ISI मार्का चाइनावेयर और CP • इलेक्ट्रिक फिटिंग : ISI मार्का • स्ट्रक्चर : RCC फ्रेम स्ट्रक्चर जो नवीनतम IS कोड और NBC के सुझावों के अनुसार सीमिक बलों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
8. आवेदन की समय सीमाएँ	i) आवेदन पत्र दिनांक 02.02.2019 से आवेदन शुल्क 1000 रुपये भुगतान कर सिग्नेचर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड : ग्राउंड फ्लॉर, टावर A, सिग्नेचर टावर्स, साउथ सिटी 1, गुरुग्राम, हरियाणा-0124-4908200 से प्राप्त और इसी पत्र पर जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7053-121-121 पर। ii) आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 11.02.2019. iii) वितरण और संग्रह केंद्रों की सूची <a href="http://www.signatureglobal.in">www.signatureglobal.in</a> पर उपलब्ध है। iv) आवेदन पत्र प्राप्त करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा <a href="http://www.signatureglobal.in">www.signatureglobal.in</a> पर भी उपलब्ध है।

### 9. योग्यता :

- आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर बाध्यकारी करार करने पर रोक नहीं हो।
- आवेदन कोई भी कर सकता है हालांकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता PMAY (पीएमएवाई) लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आंशिक संतान शामिल हैं जिनकी पहचान 'प्रधानमंत्री आवास योजना' – सबके लिए आवास' प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई है। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे पलेट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आंशिक संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुड़ा की किसी कॉलोनी / सेक्टर या केंद्र सासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना पलेट / प्लॉट नहीं हो।
- एक व्यवित एक ही आवेदन कर सकता है। इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य पलेट के लिए आवेदन योग्य नहीं माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो प्राप्त का केवल एक पलेट चुनना होगा।

### आवंटन के मानक :

- अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉटी से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूतम विद्युत विभाग लोक सेवा स्तर के अधिकारी), वरिष्ठ नगर नियोजक (सक्कल कार्यालय), संबद्ध ज़िले के ईटीपी और संबद्ध कॉलोनाइज़र के प्रतिनिधि होंगे।
- लॉटी की तिथि निर्धारित करने के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉटी की तिथि और स्थान के विवरण दिया जाएगा।
- मानकों की पूरी जानकारी और आविष्कार जांच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल युप हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांकित अधिसूचना सं. PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट [tpharyana.gov.in](http://tpharyana.gov.in) पर उपलब्ध हैं)



HRRA NO.: 4 of 2017 DATED 20.06.2017

12 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के तहत लगभग 2.67 लाख रुपये व्याज सबसिडी का लाभ उठाएँ।  
PRADHAN MANTRE KARAK YOGANA

HOME LOAN PARTNERS: HDFC HOME LOANS, ICICI BANK HOME LOANS, PUNJAB HOUSING FINANCE LTD., YES BANK, TATA CAPITAL, ART, TATA FINANCIAL SERVICES, INDUBUILERS HOME LOANS, SHUBHAM FINANCIAL SERVICES, CAPRI FINANCIAL SERVICES, PNB HOME FINANCE, ICICI HOME FINANCE.

Disclaimer: Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore requested to make personal judgment prior to submitting an application for allotment. The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details / specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website [haryanareg.gov.in](http://haryanareg.gov.in). Journey time shown, if any is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time.

\*Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges if applicable. T & C Apply. 1 Sq. mt = 10,7639 sq. ft.

7053-121-121